बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

कार्यालय आदेश

पटना, 15, दिनांक– 01/11/12

संचिका सं0– बी.एस.^{3}–101703/2012-1303 महालेखाकार के अंकेक्षण दल के द्वारा वर्ष 2003 से वर्ष 2011 की अवधि में संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित किए गए संस्थाओं एवं भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत निबंधित किए गए फर्मों के निबंधन शुल्क के रुप में प्राप्त कोषागार चालानों को सत्यापित कराये बगैर ही निबंधन किए जाने के कारण आपत्ति उठाई गई है। अतएव महालेखाकार द्वारा उठायी गई आपत्ति के आलोक में कोषागार चालानों को सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करने के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिए जाते है :–

(1) संस्था एवं पार्टनरशीप फर्म के निबंधन एवं निबंधित संस्थाओं एवं फर्मों की सच्ची प्रतिलिपि हेतु शुल्क के रुप में कोषागार चालान [0030–स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क 03– पंजीकरण शुल्क, प्राथमिक ईकाईया 75–49 सकल प्राप्तियाँ, 800– अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत उपशीर्ष फर्म एवं संस्था का निबंधन शुल्क। विपत्र कोड– R–0030038000001] में जमा की जायगी।

(2) प्रत्येक जिला अवर निबंधक से वैसी संस्थाओं/फर्मों से संबंधित कोषागार चालानों को पारित कराना आवश्यक होगा, जो उनके क्षेत्राधिकार में अवस्थित हो।

(3) उन प्रतिहस्ताक्षरित चालानों की राशियों को संबंधित जिलों के कोषागार में पक्षकारों द्वारा जमा करायी जायेगी।

(4) कोषागार में जमा कराये गये चालानों का सत्यापन संबंधित जिला अवर निबंधक द्वारा कर ही चालान पर उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। यह प्रतिहस्ताक्षर चालान की सत्यता से संबंधित होगा।

(5) जिला अवर निबंधक द्वारा सत्यापित कोषागार चालानों की प्रति संस्था/फर्म के निबंधन एवं सच्ची प्रतिलिपि हेतु दिए जाने वाले आवेदनों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(6) पूर्व से निर्गत इस संबंध में सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

(7) इसे जन साधारण के सूचनार्थ विभाग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(8) इसे निबंधन विभाग की वेबसाईट http://registration.bih.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

(9) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30/10

(दयानिधान पाण्डेय)
निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

कृ. पृ. उ.